मतदान केंद्र नहीं जा सकते?

2020 आम चुनाव और जनमत संग्रह में मतदान करें

2020 का आम चुनाव अब 17 अक्टूबर को End of Life Choice और cannabis referendums के साथ होगा। आप शनिवार 3 अक्टूबर से किसी भी अग्रिम मतदान केंद्र या चुनाव के दिन, शनिवार 17 अक्टूबर को किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट दे सकते हैं।

ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है:

- **vote.nz** पर जाएँ
- **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

Complete this form to authorise someone to collect voting papers on your behalf

Voter's details. Please print clearly

My first name(s) are:

My last name is:

My contact telephone number is:

OFFICIAL USE ONLY:
Index reference

Address where I am enrolled to vote:

✓ Tick the electoral roll you believe you are enrolled on:

☐ General roll ☐ Māori roll

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के उपाय

COVID-19 की वजह से 2020 आम चुनाव अलग होंगे। मतदान करते समय आपकी और आपके whānau की सुरक्षा के उपायों का ध्यान रखा गया है जिसमें हैंड सैनिटाइज़र और शारीरिक दूरी बनाना शामिल है।

हो सके तो सुबह जल्दी और घर के पास से मतदान करें

आप सोमवार 3 अक्टूबर से शुक्रवार 16 अक्टूबर तक किसी भी अग्रिम मतदान केंद्र जाकर अपना वोट दे सकते हैं। चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्र, शनिवार 17 अक्टूबर को, सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुले रहेंगे।

घर के पास से मतदान तेज़ी और आसानी से करें। आप आओटियारोआ में किसी भी मतदान केंद्र से मतदान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से मतदान करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त फ़ॉर्म भरना पड़ सकता है।

वोट कहाँ और कब देना है इसकी जानकारी **vote.nz** पर उपलब्ध है या **0800 36 76 56** पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।

मतदान केंद्र न जा सकने के बावजूद आप मतदान कर सकते हैं

मतदान केंद्र जाने में असमर्थ लोगों के लिए हम हमेशा मतदान सेवाएँ उपलब्ध करवाते हैं, जैसे बीमार, बुज़ुर्ग या विकलांग व्यक्ति। 2020 में अगर आप मतदान केंद्र जाने में असमर्थ हैं तो, आप डाक के ज़रिए मतदान की माँग कर सकते हैं या किसी से मतदान पत्र मंगवा सकते हैं।

किसी को कहकर मतदान पत्र मंगवा सकते हैं

फ़ॉर्म को पूरा और उस पर हस्ताक्षर करके, किसी के हाथ भेजकर मतदान केंद्र वापस भेज दें। वे फिर आपके मतदान पत्रों को पूरा करने के लिए आपके पास वापस ले आएँगे। आपके मतदान पत्र, शनिवार 17 अक्टूबर शाम 7.00 से पहले मतदान केंद्र पहुँचना ज़रूरी हैं।

डाक के ज़रिए मतदान की माँग करें

आप 23 सितंबर तक **0800 36 76 56** पर कॉल करके डाक के ज़रिए मतदान पत्र की माँग कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने से पहले आपका नामांकन होना ज़रूरी है।

डाक के ज़रिए मतदान पैक शुक्रवार 3 अक्टूबर से शुक्रवार 9 अक्टूबर तक पहुँच जाएगा।

पूरे भरे हुए डाक मतदान बुधवार 14 अक्टूबर तक डाक में होने चाहिए ताकि वे हम तक गणना के समय तक पहुँच जाएँ, या आप किसी से चुनाव के दिन, शनिवार 17 अक्टूबर को शाम 7.00 बजे तक मतदान केंद्र पर अपना मतदान पत्र पहुँचाने को कह सकते हैं।

चुनाव वाले दिन काम कर रहे हैं?

चुनाव वाले दिन मतदान करने के लिए आप कानूनी तौर पर काम से छुट्टी ले सकते हैं। आप शनिवार 3 अक्टूबर से किसी भी मतदान केंद्र में सुबह जल्दी जाकर मतदान कर सकते हैं।

विश्राम ग्रह में होने के बावजूद आप मतदान कर सकते हैं

अगर आप विश्राम ग्रह में हैं और आप मतदान केंद्र नहीं जा सकते तो आपको हमसे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्थानीय रिटर्निंग अफ़सर आपके आराम-घर के प्रबंधक से संपर्क साधकर आपके लिए मतदान सेवाओं का प्रबंध करेगा।

अगर आप अस्पताल में हैं, तब भी आप मतदान कर सकते हैं

अगर आप अस्पताल में होने की वजह से मतदान केंद्र नहीं जा सकते तो, 3 अक्टूबर से, आपका कोई दोस्त या परिवार जन आपके लिए मतदान पत्र ला सकते हैं। अगर चुनाव के पहले, आपका अस्पताल जाना तय है तो हमारा सुझाव है कि आप 3 अक्टूबर से पहले ही आपना वोट दे सकते हैं।

आप प्रबंधित अलगाव या संगरोध सुविधा में होने के बावजूद भी मतदान कर सकते हैं

आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रबंधित अलगाव या संगरोध सुविधाओं (क्वारंटीन) में लोगों के लिए मतदान सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधा प्रबंधक के साथ काम करेंगे।

Give my voting papers to the person I have authorised.

The name of the person I have authorised to collect and deliver my voting papers to me is:

✓ ☐ **I have been authorised to collect and deliver voting papers to the voter named on this form.**

Signature of authorised person	Date

Signature of voter	Date

Note: this application must be signed for it to be valid

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI